

कमांक/970/राजस्व./2026

बैरसिया दिनांक 23.04.2026

—: 1stcall दुकान नीलामी सूचना :—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मध्य प्रदेश नगर पालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016 एवं संशोधन नियम 2021 एवं 28 मार्च 2023 के प्रावधानों के अनुक्रम में शाक्तिमान चौराहे के पास नवीन कार्यालय पर प्रथम तल पर दुकानों की नीलामी 30 वर्ष के पट्टे पर उच्चतम दर उत्कथित करने वाले को दिया जाने के आधार पर दिनांक 01.05.2026 से 21.05.2026 शाम 5:30 बजे तक अपने ऑफर आनलाइन www.mptenders.gov.in के माध्यम से ई-निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त ई-ऑफर दिनांक 23.05.2026 को खोले जावेंगे।

—: अनुसूची :—

| क्र. | आरक्षण | निविदा क्र. | लोकेशन प्रथम-तल | दुकान का साईज | अपसेट प्राईज (लाख में) | निविदा शुल्क | धरोहर राशि |
|------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | अनारक्षित | 2026_UAD_504215 | दु. क्र. 27 | 7.0.5M*4.0M | 10.00 | 10,000 /— | 1,12,500 /— |

शर्त :


आफर कार्ता को ई-निविदा में भाग लेने हेतु पेन कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा। साथ ही आधार कार्ड बोटर आई डी आदि स्वतः सत्यापित प्रति संलग्न की जावेगी।

01. दुकान की विस्तृत शर्त/नियम ऑनलाइन वेबपोर्टल www.mptenders.gov.in तथा कार्यालीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर नगर पालिका के राजस्व शाखा में भी देखी जा सकती है।
02. उपरोक्त निविदा के संशोधन केवल वेबसाईट पर ही corrigendum अन्तर्गत प्रकाशित किये जायेंगे पृथक से समाचार पत्रों में नहीं किए जायेंगे।
03. उक्त ई-निविदा में भाग लिये जाने हेतु निविदाकार को उल्लेखित वेब पोर्टल पर दिये गए निर्देशानुसार डिजिटल सिग्नेचर बनवाई जाकर बिडर आई.डी. रजिस्टेशन कराया जाना अनिवार्य होगा, उक्त संबंध में अधिक जानकारी के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क तथा उक्त वेब पोर्टल हेल्पडेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं।
04. निविदा प्रारूप राशि निर्धारित ऑनलाइन निविदा शुल्क जमा कर कर किये जा सकते हैं।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् बैरसिया

01. नीलामी की जा रही सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य सूची अनुसार लाख रुपये मात्र है ।
02. अरक्षित दुकानों के लिए निविदाकार को आरक्षण संबंधित दस्तावेज निविदा में संलग्न करें।
03. वार्षिक किराया प्रीमियम राशि का 0.5 प्रतिशत (दस वर्ष के लिए) होगा जो एक मुश्त या वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में समान 12 मासिक किश्तों में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करना होगा, अन्यथा नियमानुसार विलम्ब शुल्क देय होगा एवं प्रत्येक 05 वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि नियमानुसार की जावेगी।
04. घरोहर राशि 1,12,500/- मात्र है जो ऑन-लाईन जमा किया जायेगा।
05. पंजीकृत अनुबंध पत्र उप पंजीयन कार्यालय बैरसिया से ऑफर कर्ता को स्वयं के व्यय पर कराना अनिवार्य होगा। तदपश्चात ही अधिपत्य दिया जावेगा।
06. समस्त निविदाकारों पर मध्य प्रदेश नगर पालिका (अचल सम्पत्ति अंतरण) नियम 2016 एवं संशोधन उल्लेखित नियमों एवं उपनियम बंधनकारी होंगे।
07. उच्चतम निविदा दाता द्वारा निविदा खुलने के दिनांक से 21 दिवस के भीतर विक्रय मूल्य की 50 प्रतिशत राशि जमा करना होगा। अंतिम स्वीकृति उपरांत यथा स्थिति में 25 प्रतिशत राशि छत स्तर तक निर्माण होने पर विक्रय मूल्य की दूसरी 25 प्रतिशत राशि तथा कार्य पूर्ण होने पर शेष राशि जमा की जाना अनिवार्य होगी। तदपश्चातही अधिपत्य प्राप्त किया जा सकेगा।
08. समय सीमा के भीतर राशि जमा करने में विफल होने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी शेष राशि पर एक प्रतिशत मासिक ब्याज अधिरोपित करते हुये समय सीमा में अधिकतम 120 दिनों की वृद्धि कर सकेंगे।
09. निकाय का किसी भी प्रकार का कर बकाया होने की स्थिति में आफर निरस्त माना जावेगा।
10. पट्टाधारी को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या किन्ही अन्य पदार्थों जैसे शराब, सट्टा, भांग, गोटा, मांस मच्छली के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी, जो उसकी संपत्ति तथा आस-पास की संपत्तियों के लिए असुरक्षित हो।
11. संविदाकार किसी ऐसी गतिविधि का कियान्चयन नहीं करेगा, जो विधि अनुसार अनुज्ञेय नहीं है, और आस-पास रहवासियों अथवा आमजन की शान्ति तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।
12. संपत्ति का संविदाकार अतिरिक्त अतिक्रमण अथवा अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
13. संविदाकार को विधुत संयोजन नियमानुसार प्राप्त करना होगा।
14. संविदाकार द्वारा इन निर्मित बनाये गये नियमों और उसके अधीन बनाये उपबंधों और अनुबंध की शर्तों के पालन के चूक करने की दशा में संपत्ति का अंतरण निरस्त किया जा सकेगा।
15. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार शासन द्वारा आरोपित कर/शुल्क/ अन्य प्रभारों का भुगतान संविदाकार द्वारा किया जावेगा।
16. पट्टाधारी को उक्त संपत्ति में उप किरायेदार रखने का अधिकार नहीं होगा।
17. निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर या प्रस्ताव खोले जाने के पश्चात् उच्चतम बोली लगाने वाली की प्रतिभूति निक्षेप को छोड़कर शेष सभी बोली लगाने वालों की प्रतिभूति निक्षेप (ई एमडी) वापस कर दिया जाएगा।
18. पट्टेधारी की मृत्यु होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा नामांतरण का आवेदन दिये जाने पर नामांतरण शुल्क 5000/- जमा करने पर नामांतरण किया जा सकेगा।।
19. किसी भी पागल व नाबालिक के द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
20. यदि दुकान की प्रीमियम हेतु 2 या अधिक के उच्चतम ऑफर एक सामान राशि के प्राप्त होते हैं तो संबंधितों से संशोधित आफर सील बंद लिफाफे में प्राप्त कर उच्चतम आफर की स्वीकृति का निर्णय लिया जावेगा।
21. दुकान नगर पालिका परिषद् बैरसिया की परिसम्पत्ति होगी जिस पर आवंटि को अनुबंध अनुसार उपयोग करने का अधिकार होगा।
22. यदि सम्पत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगा ग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इसकी हुई क्षति को आवंटि को ही वहन करना होगा इसके लिए नगर पालिका परिषद् बैरसिया किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी।

23. दुकान की छत पर नगर पालिका परिषद् बैरसिया का अधिपत्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार छत पर निर्माण कर नीलाम कर सकेगी।
24. समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन व जी.एस.टी.आदि करों का भुगतान पृथक से निविदा कर्ता को करना होगा।
25. प्रकाशित विज्ञापित के आधार पर आफर प्रस्तुत करने की दशा में यह माना जावेगा कि आफर कर्ता द्वारा नगर पालिका परिषद् बैरसिया आवंटन संबंधी सभी शर्तों को स्वीकार की जाकर ही आफर प्रस्तुत किया है।
26. दर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकारी परिषद्/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निहित रहेगा।
27. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र न्यायालय बैरसिया होगा।



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् बैरसिया

पृ०कमांक/राजस्व/...../नीलामी/2026
प्रतिलिपि :-

बैरसिया दिनांक

01. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित
02. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण जिला मोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
03. तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पार्थ।
04. मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैरसिया के सूचना पटल पर चस्पार्थ।
05. कार्यालय नगर पालिका परिषद् बैरसिया के सूचना पटल पर चस्पार्थ।
06. संपादक महोदय, दैनिक समाचार पत्र 01..... 02.....
..... की और आगामी अंक में विज्ञापित न्यूनतम स्पेस में अधिकतम विज्ञापन शुल्क रुपये मात्र में प्रकाशनार्थ।



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् बैरसिया

KEY DATES

| No. | Work Department stage/Bidder's stage | Start | | Expiry | |
|-----|--------------------------------------|-------|------|--------|------|
| | | Date | Time | Date | Time |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---------------------------|------------|-----------|------------|---------|
| 1 | Published Date | 01.05.2026 | 09:00AM | 21.05.2026 | 5:30 pm |
| 2 | Purchase of Tender Online | 01-05-2026 | 09: 00 am | 21.05.2026 | 5:30 pm |
| 3 | Bid submission online | 21.05.2026 | 09: 00 am | 21.05.2026 | 5:30 pm |
| | Open | 23.05.2026 | 11: 00 am | | |

1. Amendments to NIT, if any, would be published on website only, and not in newspaper.
- 2- Required Documents(all Document digital signed accepted) फिजिकल दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जाते हैं।

- (a) E. EMD photo copy
- (b) PAN card copy
- (c) Affidavit
- (d) Adharcard, voter card
- (e) यदि दुकान अरक्षित है तो जाति अरक्षण का प्रमाण-पत्र साथ में संलग्न करे।

Chief municipal officer
Municipal council berasia